(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3737–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला गुना, प्रकरण क्र. 4/स्व0निगरानी/2009–10

1–मिलेनियम समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रसार
समिति माथुर कॉलोनी गुना अध्यक्ष अवधेश
श्रीवास्तव आत्मज स्व0श्री शिवशरण श्रीवास्तव
2–श्रीमती वन्दना श्रीवास्तव पत्नी अवधेश श्रीवास्तव,
निवासीगण माथुर कॉलोनी गुना जिला गुना

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2–अलताफ पुत्र न्याज अहमद सौलत
निवासी सौलत गली गुना तहसील व जिला गुना

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी गुना द्वारा कलेक्टर जिला गुना को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण पंजी के प्रविष्टि कमांक 18 पर दि. 29–5–04 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा माधौपुरा की भूमि सर्वे कमांक 129/2/2 रकबा 0.523, सर्वे कमांक 133/2 रकबा 1.045 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 134/2 रकबा 1.045 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 134/4 रकबा 1.045 हेक्टेयर के संबंध में विकय से वर्जित दर्ज प्रविष्टि को दुरूस्त कर दिया गया है जो कि क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का उक्त आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 30–12–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत संशोधित करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है, इसलिये तहसीलदार द्वारा विकय से वर्जित प्रविष्टि हटाने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और उक्त कार्यवाही को क्षेत्राधिकार रहित ठहराने में त्रुटि की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर पटटागृहिता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे इसलिये विकय निषेध प्रविष्टि हटाने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । उनके द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही संहिता के प्रावधान के अनुसार होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नही दिया गया है। इस संबंध में 1988 जे.एल.जे. 427 रश्मि परिहार विरूद्ध गंगाराम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जीवन और संपत्ति को प्रभावित करने वाली कार्यवाही पक्षकार की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती है । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही एवं पारित आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को जिन आधारों पर स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है उनकी पुष्टि के लिये कोई आधार अथवा प्रमाण जैसे खसरे आदि प्रकरण में संलग्न नहीं है । इस प्रकरण में यह भी विचारणीय प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा संशोधन के पूर्व दिया गया था अथवा संशोधन के बाद इस बिन्दु पर भी कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक अथवा अनुचित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर